(131)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक / 1692 / रा.नि.का. / 2014 रायगढ़, दिनांक 15 / 12 / 2014

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम

अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर (छ.ग.)

विषय खरसियां–धरमजयगढ रेल कॉरीडोर–राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

खरसियां– गुर्दा खण्ड का केन्द्र शासन द्वारा अनुमोदन ।

संदर्भ :– इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड का आवेदन पत्र दिनांक़ 09.12.2014 ।

––:00:––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में रेल कॉरीडोर मार्ग पर आने वाले ग्राम भालूनारा तहसील खरसियां के राजस्व वन भूमि में वन अधिकार अनिनियम 2006 यथा नियम 2012 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसियां के प्रतिवेदन अनुसार वन अधिकार हक पत्र प्रदाय नही किया गया है तदाशय का प्रदर्श 'स' तैयार किया गया ।

अतः प्रदर्श 'स' में जानकारी सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1692A / रा.नि.का. / 2014 रायगढ़, दिनांक 15 / 12 / 2014

प्रतिलिपिः

सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग. ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

'प्रदर्श ' स '

प्रमाण पत्र

मेसर्स इरकान इंटरनेशन लिमि. प्रोजेक्ट को पूर्वी रेल कारिडोर (0 से 10 कि.मी., खरसिया से गुरदा) रेल लाईन बिछाने के कार्य हेतु रायगढ़ जिले में रायगढ़ वन मण्डल के ग्राम भालूनारा तहसील खरसिया की प्रभावित राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 2.631 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन :-

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.000 हे. एवं राजस्व वन भूमि ग्राम भालूनारा तहसील खरसियां कुल रकबा 2.631 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है का कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

2- प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वी रेल कारीडोर (0. से 10 किलो मीटर खरसिया से गुर्दा) ग्राम भालूनारा वन अधिकार अधिनियम 2006 का पालन किया गया है यह पाया गया है इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार हक पत्र पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की सूची ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	खसरा नं.	रकबा (हे.में.)
1	भालूनारा	निरंक	निरंक	निरंक

3- यह प्रमाणित किया जाता है जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उन ग्राम सभा के न्यूनत 50 प्रतिशत सदस्यो की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4- यह प्रमाणित किया जाता है कि विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष संरक्षित रखना है ।

5- प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनअधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

Pradars SA

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक / 6Uo / रा.नि.का. / 2015 रायगढ़, दिनांक 29 / 05 / 2015

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड,
रायपुर (छ.ग.)

विषय दक्षिण पूर्वी रेल लाईन रेल कॉरीडोर हेतु रेल मार्ग का निर्माण प्रस्तावित रेल मार्ग हेतु वन भूमि व्यपवर्तन हेतु घरघोड़ा से डोंगा मौहा (0 से 28 कि.मी. हेतु) राजस्व वन भूमि प्रकरण में अनुसूचित जन जाति अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के संबंध में प्रदर्श "स" भेजने बाबत् ।

संदर्भ :- कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) एस.ई.सी.आर. (बिलासपुर) का पत्र दिनांक 6.04. 2015

—:00:—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में रेल कॉरीडोर मार्ग पर आने वाले तहसील तमनार, के ग्राम बरकसपाली ढोलनारा, सक्ता एवं खर्रा, के राजस्व वन भूमि कुल रकबा 5.094 हे. में वन अधिकार अधिनियम 2006 यथा नियम 2012 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के प्रतिवेदन अनुसार वन अधिकार हक पत्र प्रदाय किये गये हैं तदाशय का प्रदर्श 'स' तैयार किया गया है। ।

अतः प्रदर्श 'स' में जानकारी सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 6Uo A / रा.नि.का. / 2015 रायगढ़, दिनांक 29 / 5 / 2015

प्रतिलिपिः

सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग. ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

DP LATTER

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

छ.ग. पूर्व रेल्वे लिमिटेड द्वारा कॉरीडोर हेतु रेल मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल मार्ग हेतु वन भूमि व्यपवर्तन हेतु घरघोड़ा से डोंगामौहा (0 से 28 किमी.) राजस्व वन भूमि प्रकरण में अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन :-

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्यपरंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं, जो इस कार्य के लिए व्यपवर्तित की जानी है तथा बरकसपाली, ढोलनारा, सक्ता एवं खर्रा तहसील तमनार में स्थित है। तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	ग्राम का रकबा (हे.में.)
1	2	3	4
1	बरकसपाली	निरंक	0.000
2	ढोलनारा	निरंक	0
3	सक्ता	निरंक	0
4	खर्रा	प्रेमसागर / माधुरी कलंगा	0.121
	खर्रा	सुखराम / रवती कलंगा	0.303
	खर्रा	रतिराम / फुली कलंगा	0.202

2- लिनियर प्रोजेक्ट होने के कारण ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं है।

3- यह प्रमाणित किया जाता है कि (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन भूमि पर निवासरत नहीं है। जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत" वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (E) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4- संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकलों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)